

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,

सचिव,

30प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, सुल्तानपुर, जौनपुर, ललितपुर, मुजफ्फरनगर, तथा
गौतमबुद्धनगर।

राजस्व अनुभाग-10

तखनऊ: दिनांक- 02 फरवरी, 2022

विषय:- कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों (Next of Kin of the deceased) को ₹0 50,000/- प्रति मृतक अनुग्रह सहायता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-जी0आई0 105/एक-11-2021-5 (जी)/2021, दिनांक 23.10.2021 में दिए गए निर्देशों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दि0 22.11.2021 के अनुपालन में कोविड 19 से मृत व्यक्तियों के परिवारीजन को ₹0 50,000/- की अनुग्रह सहायता प्रदान किये जाने हेतु राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या- 1893/1-10-2021-33(12)/2021 दिनांक 24.11.2021 तथा शासनादेश संख्या- 1928/1-10-2021-33(12)/2021 दिनांक 01.12.2021 द्वारा जनपदों को आवंटित धनराशि के अतिरिक्त किए गए अनुरोध के दृष्टिगत कोविड 19 से मृत व्यक्तियों के परिवारीजन को ₹0 50,000/- की अनुग्रह सहायता प्रदान किये जाने हेतु निम्न विवरण/शर्तों के अधीन कुल ₹0 5,01,50,000/- (₹0 पांच करोड़ एक लाख पचास हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	आवंटन
1	2	3
1	सहारनपुर	50.00
2	मेरठ	50.00
3	मुरादाबाद	65.00
4	बिजनौर	85.00
5	सुल्तानपुर	6.00
6	जौनपुर	95.00
7	ललितपुर	65.00
8	मुजफ्फर नगर	50.00
9	गौतमबुद्धनगर	35.50
योग		501.50

- (1) उपरोक्तानुसार सम्बन्धित जिलाधिकारी अनुग्रह धनराशि सम्बन्धित मृतक के विधिक उत्तराधिकारी के बैंक खाते में तत्काल स्थानान्तरित करेंगे।
- (2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2022 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2022 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

- (4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जा तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।
- (6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वितीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- (8) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- 4- उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि ₹० 5,01,50,000/- (₹० पांच करोड़ एक लाख पचास हजार मात्र) वर्तमान वितीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड 800-अन्य व्यय 06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय 11-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय 42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,
(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

संख्या- (1)/एक-10-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथमआडिट प्रथम/, 30प्र० प्रयागराज।
- 2- प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
- 3- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, 30प्र०।
- 4- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, 30प्र० शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, 30प्र० शासन।
- 6- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र० शासन।
- 7- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30प्र० लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 9- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र०।
- 10- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन), 30प्र० शासन।
- 11- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी /मुख्य कोषाधिकारी।
- 12- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 13- वित्त -अनुभाग (नियंत्रण-व्यय)5।
- 14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

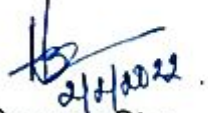
Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-02/02/2022

प्रेषण संख्या:- 170
आवंटन आदेश संख्या:- 194-2021-2022
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	सहारनपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 30000000	5000000 30000000
2	मुज़फ्फर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 12500000	5000000 12500000
3	मेरठ-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 30000000	5000000 30000000
4	बिजनौर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	8500000 13500000	8500000 13500000
5	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	6500000 19100000	6500000 19100000
6	जौनपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	9500000 17000000	9500000 17000000
7	सुल्तानपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	600000 5600000	600000 5600000
8	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	6500000 14000000	6500000 14000000
9	गौतमबुद्ध नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3550000 11050000	3550000 11050000
	योग	वर्तमान प्रगामी	50150000 152750000	50150000 152750000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ एक लाख पचास हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पन्द्रह करोड़ सत्ताइस लाख पचास हजार


(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।